कार्यालय नगर परिषद बैहर, जिला–बालाघाट (म0प्र0)

कमांक / 669 / स्था.शाखा / न.प. / 2024 बैहर दिनांक 13/09/2024

विज्ञापन

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट चाचिका कमांक 7275 / 2019 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024, म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक एफ 07 / 19 / 2019 / आ.प्र. / 1 दिनांक 14.02.2024, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र कमांक / 676 / 16017123 / 2023 / 18–1 दिनांक 16.02.2023, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक / स्था / एक / 201 / प्र.शि. / 2024 / 3780 भोपाल दिनांक 26.02.2024 तथा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, के पत्र कमांक एफ 8–2 / 2013 / आ.प्र. / एक, भोपाल दिनांक 04.01.2024 एवं अन्य पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए 01 पद का नाम **सफाई संरक्षक (संविदा)** के आरक्षित पद / पदों की पूर्ति वॉक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यार्थी नीचे दर्शाये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भर कर दिनांक 30/09/2024...... कार्यालयीन समय 5:30 सायंकाल तक आवेदन –पत्र प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नही किया जायेगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए निकाय / कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांजनों हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता एवं वॉक–इन–इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नानुसार है:–

क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारित योग्यता
				दृष्टबाधित और कमदृष्टि	बहरें और कम सुनने वाले,	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापर, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलि टी और मानसिक बीगारी और बहुविकलांगता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ श्रेणी	8000	00	00	00	**01**	**5 वी उर्तीण (एक वर्ष का अनुभव)**

मुख्य शर्तेः–

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. समस्त प्रमाण–पत्रों को समक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने उपरांत प्रमाण पत्रो की प्रति संलग्न प्रेषित की जावें।
3. मध्यप्रदेश शासन सामान्यं प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3–38 / 16 / 1 / 3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग–अनु.जा.अनु. जनजाति, अनयपिछड़ा वर्ग, शासकीय / निगम / मण्डल / स्वाशासी संस्था के कर्मचारियों / नगर सैनिक / निःशक्तजन / महिलाओं (अनारक्षित / आरक्षित) आदि के लिए 18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट) होगी।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी–3–8 / 2016 / 3–एफ भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3–38 / 16 / 1 / 3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019

अनुसार के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

5. आवेदक को वॉक–इन–इंटरव्यू/साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना–अनिवार्य है।
6. दिव्यांगता के डिजिटल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता दिनांक 01.06.2021 से लागू की गई है। अतः उक्त तिथि के पूर्व जारी मैन्यूअल दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।
7. डिजिटल जाति मूल, निवासी प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण –पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया ही मान्य होगा।
8. वॉक–इन–इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
9. अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा।
10. भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्ते कार्यालयीन समय में निगम/निकाय से प्राप्त की जा सकती है।
11. यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पूरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया है उसे उक्त पदो के लिए अयोग्य माना जायेगा।
12. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तो को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को पूर्ण करता है।
13. आवेदन –पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण–पत्र संलग्न नही किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
14. सीधी/बैकलॉग के पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना 2005 अंतर्गत नियुक्ति होगें।
15. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछड़ी जनजातियों (सहरिता/सहरिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नही होगा।
16. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं विहित प्रारूप में नही है वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कूटरचिता किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हो जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हों, जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
17. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदो के विरूद्ध चयनित होने वाले अभ्यार्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेंडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
18. यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदो के विरूद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
19. शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यार्थी जिसके 02 से अधिक जीवत सन्तानें हैं, जिसने से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है तो ऐसा अभ्यार्थी नियुक्त हेतु पात्र नही होगा लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक सन्ताने जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नही माना जावेगा।
20. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी, 3–13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चुतर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यार्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यार्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दी जायेगी।

21. दिव्यांजनों हेतु चिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगरपालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते) सेवा, नियम 2021 में विहित प्रावधानुसार की जावेंगी।
22. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगे।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद बैहर
जिला–बालाघाट (म0प्र0)
13/9/2024

षय:—

दर्भ

प्रति,

आवेदन का प्रारूप

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका / नगर परिषद –
जिला–

स्व–प्रमाणित पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करें।

विषय : पद .... वर्ग .... के लिये आवेदन।
संदर्भ : आपका विज्ञापन क्रमांक .... दिनांक ....

1. आवेदक / आवेदिका का पूरा नाम –
2. आवेदक / आवेदिका के पिता / पति का नाम –
3. आवेदक / आवेदिका की माता का नाम –
4. आवेदक / आवेदिका की जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र / हाई स्कूल की अंकसूची अनुसार) वर्ष .... माह .... दिन ....
5. विज्ञापन प्रसारण के दिनांक को आयु वर्ष .... माह .... दिन ....
6. आवेदक / आवेदिका का लिंग (पुरुष / महिला / अन्य)–
7. आवेदक / आवेदिका की जाति –
8. दिव्यांगता की श्रेणी एवं दिव्यांगता का प्रतिशत –
9. आवेदक / आवेदिका यदि विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण–पत्र अनुसार विवाह की दिनांक–
10. जीवित संतानों का विवरण –
11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम –
12. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	विषय	कुल अंक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8

13. पद हेतु अनुभव का विवरण –
14. अतिरिक्त विशेष योग्यता यदि हो तो उसका विवरण –
15. वर्तमान पता (पिन कोर्ड सहित) –
16. स्थाई पता (पिन कोर्ड सहित) –
17. पत्राचार का पता (पिन कोर्ड सहित) –
18. ईमेल आई.डी. (आवश्यक) –
19 मोबाईल नम्बर (आवश्यक) 1.................. 2..................

आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम

घोषणा पत्र

"मैं घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है, यह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। कोई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जावें।

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नक :– 1. म.प्र. के मूल निवासी का प्रमाण पत्र। 2. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन। 3. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (न्यूनतम 40 प्रतिशत) 4. जाति प्रमाण पत्र। 5. जन्मतिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र / हाई स्कूल की अंकसूची)

प्रारूप
(परिशिष्ट–4)

कार्यालय नगर पालिका/नगर परिषद .... जिला ....

पावती

विशेष भर्ती अभियान 2024 के तहत् दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पदों के संबंध में निम्नानुसार आवेदन प्राप्त हुआ :–

1. आवेदक/आवेदिका का नाम –
2. पिता/पति का नाम –
3. पद एवं श्रेणी जिसके लिये आवेदन प्राप्त हुआ–
4. संलग्नक (✓/✗ का निशान लगावें) –
   (अ) मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र – ☐
   (ब) रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन – ☐
   (स) दिव्यांगता का प्रमाण पत्र – ☐
   (द) जाति प्रमाण पत्र – ☐
   (इ) जन्म प्रमाण पत्र – ☐
5. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक एवं समय –

दिनांक   निकाय की सील   प्राप्तकर्ता का नाम/पद/हस्ताक्षर